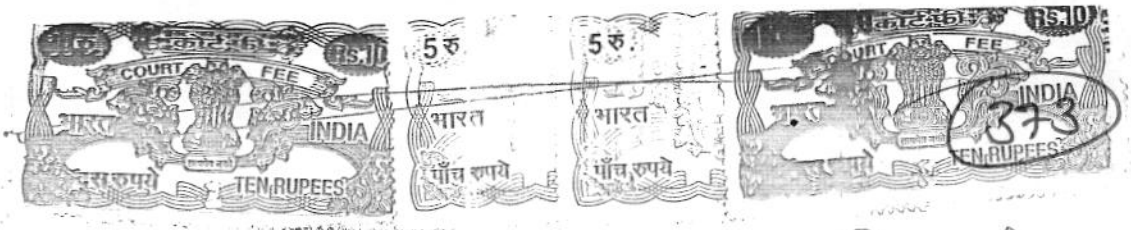

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

नि0 / 3904-I-15

प्र0क0 R ..../15–16 निगरानी

दिनांक 16-11-15 को श्री कौशल्या शर्मा, अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत।
16-11-15

दामोदर यादव पटवारी ग्राम अजनोधा तहसील व जिला मुरैना

..........................आवेदक

बनाम

1–म0 प्र0 शासन

2–गिर्राज डण्डोतिया

3–श्रीमती प्रियादेवी पत्नी शान्तीलाल

4–श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी गोपालसिंह

5–श्रीमती अंगूरीदेवी पत्नी बलबीर

6–श्रीमती शीलादेवी पत्नी राधेश्याम

समस्त जाति डण्डोतिया

7–हुकमसिंह पुत्र मंगला

8–रामजीलाल पुत्र मंगला

9–बीरबल पुत्र मंगला

10–पुन्ना पुत्र भगरी

समस्त जाति काछी (कुशवाह)

11–रामरती पत्नी राजाराम

12–कालीचरन पुत्र राजाराम

13–छविराम राजाराम

समस्त जाति तेली

निवासी ग्राम लालौर तह0 व जिला मुरैना

..........................अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 05/11/2015

न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय अम्बाह मुरैना के प्र0क0 स्टेनो/ए0डी0एम0सिका0/4/17/2015 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि आवेदक ग्राम अजनोधा तह0 व जिला मुरैना में पटवारी पद पर पदस्थ होकर अपने कार्य व कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक कर रहा है।

2– यह कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गिर्राज डण्डोतिया निवासी लालौर तह0 व जिला मुरैना के नाम से एक असत्य शिकायत आवेदक के विरूद्व श्रीमान आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर से शिकायत की जांच हेतु श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय मुरैना को पत्र जारी किया गया।

3– यह कि श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय मुरैना द्वारा प्रकरण कायम कर आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया जिसका जबाब आवेदक द्वारा विधिवत प्रस्तुत किया गया।

4– यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05/11/2015 को एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदक प्रकरण में श्री विष्णु अग्रवाल अभिभाषक को पैरवी हेतु नियुक्त करना चाहता है। जिस हेतु आवेदक को अभिभाषक नियुक्त कर पैरवी करने हेतु अनुमति प्रदान की जावें।

5– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र को असत्य व मनमाने आधार पर बगैर किसी कारण के निरस्त कर दिया। जिससे दुखित होकर यह निगरानी उक्त आधारों के अलावा निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है ।

निगरानी के आधार–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभिभाषक नियुक्त करने की अनुमति न देने में आवेदक को न्याय सें वंचित रखा है। किसी प्रकरण में

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3704-एक/2015 जिला मुरैना

दामोदर विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 2. मेरे द्वारा आवेदक के आवेदन के साथ प्रस्तुत अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक स्टेनो/ए.डी.एम.सिका./4/17/2015 में पारित आदेश पंजिका दिनांक 05-11-2015 का अवलोकन किया । 3. आवेदक दामोदर सिंह यादव, पटवारी के द्वारा अपर कलेक्टर के यहां इस बात का आवेदन दिया गया कि उनके द्वारा जो शिकायत की गई है उसमें अभिभाषक श्री विष्णु कुमार अग्रवाल के माध्यम से अपना पक्ष समर्थन रखना चाहते हैं । 4. अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक दामोदर सिंह यादव का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया है कि उनके द्वारा मात्र शिकायत की जांच की जा रही है न कि न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कार्यवाही की जा रही है । 5. उपरोक्त से स्पष्ट है कि अधीनस्थ अपर कलेक्टर के द्वारा कोई आदेश न तो भू-राजस्व संहिता 1959 और न ही अन्य अधिनियम (जिनमें मण्डल अपील/निगरानी सुनने के अधिकार है) के तहत पारित नहीं किया गया है । इसलिये आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन इस न्यायालय में प्रचलन योग्य न होने से अस्वीकार किया जाता है । 6. पक्षकार को सूचित किया जाये । अपर कलेक्टर मुरैना को सूचना दी जाये एवं मूल अभिलेख वापस भेजा जाये । (आर.के. जैन) 19.3.19 सदस्य	